



# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट -01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-IV, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला -गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

PHONE NO:- 0120-2336022 FAX NO :- 0120-2336021

Website:- [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in)

Email id:- [gmfinance@gnida.in](mailto:gmfinance@gnida.in)

पत्रांक :-/1230/वित्त/2022-23

ग्रे०नौ०: दिनांक :- 05/01/2023

## कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 128वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 28.12.2022 के मद संख्या: 128/4 में प्राधिकरण की संस्थागत परिसम्पत्ति (हॉस्पिटल, नार्सिंग होम इत्यादि) के वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 10000 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों के भू-आवंटन दरों के निर्धारण का प्रस्ताव मा० संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मा० संचालक मण्डल द्वारा वर्ष 2022-23 की संस्थागत की पूर्व में अनुमोदित भूखण्ड 4001-10000 वर्ग मीटर की दर को ही 10,000 वर्ग मीटर से उपर के भूखण्डों पर लागू किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में भू-आवंटन की दर का निर्धारण टैलिस्कोपिक नियम के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थागत परिसम्पत्ति (हॉस्पिटल, नार्सिंग होम इत्यादि) 10000 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों के भू-आवंटन दरें निम्नवत निर्धारित की जाती हैं:-

| Institutional Plots (Hospitals, Nursing Home Etc.) |      |                |                  |                   |
|--|------|----------------|------------------|-------------------|
| Sr. No.  | Zone | Upto 4000 Mtr. | 4001-10,000 Mtr. | Above 10,000 sqm. |
| 1  | A    | 34,000         | 24,000           | 24,000            |
| 2  | B    | 33,000         | 22,000           | 22,000            |
| 3  | C    | 32,000         | 20,000           | 20,000            |
| 4  | D    | 31,000         | 18,000           | 18,000            |

संचालक मण्डल से प्राप्त कार्योत्तर स्वीकृति के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अमनदीप डुली)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

816

01/04/2023, 18:3

प्रतिलिपि:-

- स्टॉफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के अवलोकनार्थ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए०एस०/पी०/वी०) महोदया को सूचनार्थ।
- महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ।
- समस्त परिसम्पत्ति विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रभारी महाप्रबन्धक (नियोजन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ प्रभारी (सिस्टम) को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को प्राधिकरण की वेबसाईड पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी